

186



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.

/2018 पुनरीक्षण
I/मिगरानी/छतरपुर/श्रू.स/2018/1780

रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मीप्रसाद ब्राम्हण

निवासी ग्राम मुखर्ता तहसील महाराजपुर

जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1. राजेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र भगवती प्रसाद
 2. प्रेमचंद तिवारी पुत्र भगवती प्रसाद
 3. कमलेश कुमार तिवारी पुत्र भगवती प्रसाद
- निवासीगण ग्राम मुखर्ता हाल निवासी ग्राम
सिलारपुरा तहसील एवं जिला महोबा (उ.प्र.)

..... अनावेदकगण

मुकेश चार्जि कान्ठ
14-3-18

21-3-18

14-3-18

मुकेश चार्जि
14-3-18 (उ.प्र.)
ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर (म.प्र.)
द्वारा प्र.कं. 1373/ब-121/2017-18 में पारित आदेश दिनांक
22.02.2018 के विरुद्ध म.प्र. श्रू. राजस्व संहिता 1959 की धारा
50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / छतरपुर / भु.रा. / 2018 / 1780

रामस्वरूप विरुद्ध राजेन्द्र कुमार तिवारी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला-छतरपुर के प्र.क्र. 1373/बी-121/2017-2018 में पारित आदेश दिनांक 22-02-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 15-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.कै. जैन) सदस्य</p> <p>13/2/2019</p>